

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-221 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

अमित आनन्द भेंगरा.....आवेदक / विक्रेता

बनाग

अलबिना उहेंगा.....विपक्षी / क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, सार्वजनिक रजिस्टर										
04.12.2023	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती अमित आनन्द भेंगरा पिता/पति स्व० बंसत भेंगरा ग्राम-डोड़मा, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>डोड़मा</td><td>10</td><td>179</td><td>2919</td><td>0.13½</td></tr></tbody></table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती अमित आनन्द भेंगरा पिता/पति स्व० बंसत भेंगरा ग्राम-डोड़मा, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती अलबिना उहेंगा पिता/पति गुलशन होरो ग्राम-डोड़मा, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0902414675 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 618 दिनांक 19.10.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है, खतियानी रैयत का नाम लछन मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक लच्छन मुण्डा के परपोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 2 के पृष्ठ सं० 56 पर जमाबंदी दर्ज है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	डोड़मा	10	179	2919	0.13½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
डोड़मा	10	179	2919	0.13½								



हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को गकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, तोरपा के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 103 दिनांक 14.07.2023 के साथ अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2021/30407 दिनांक 09.02.2021 को आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2021/53918 दिनांक 01.03.2021 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 618 दिनांक 19.10.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती अमित आनन्द भेंगरा पिता/पति स्व० बंसत भेंगरा ग्राम-डोड़मा, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती अलविना डहंगा पिता/पति गुलशन होरो ग्राम-डोड़मा, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी के साथ ग्राम डोड़मा के खाता सं० 179 खेसरा संख्या 2919 रकबा 0.13½ एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।